संख्या-42/2019/324/35-3-2019-1(33)/2015टी0सी0

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
जनपद- अमेठी, कन्नौज, प्रयागराज, महराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ एवं मऊ उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2019**

विषय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डाटा कुंजीयन एवं मानदेय भुगतान हेतु बजट आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है विगत वित्तीय वर्षों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डाटा कुंजीयन कार्य एवं प्रगणकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई-786/ई-5-425/दस-2019, दिनांक 27 मार्च, 2019 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-04-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत 07-मानदेय तथा 08-कार्यालय व्यय (डाटा कुंजीयन) मद में हुई बजट व्यवस्था रू0 1,14,14,000/- (रूपये एक करोड चौदह लाख चौदह हजार मात्र) से अनुलग्नक में अंकित 07 जनपदों- अमेठी, कन्नौज, प्रयागराज, महराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ एवं मऊ को विगत वित्तीय वर्षों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डाटा कुंजीयन कार्य एवं मानदेय मद में भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,14,13,962/- (रूपये एक करोड चौदह लाख तेरह हजार नौ सौ बासठ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि का आवंटन/व्यय निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

(1) वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त स्वीकृत/आवंटित धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जायेगा, स्वीकृत/आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं जनगणना कार्य निदेशालय को प्रेषित किया जाये।

(2) आवंटित मद के अनुरूप ही धन का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जाये।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-04-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-07-मानदेय-08-कार्यालय व्यय (डाटा कुंजीयन) की मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(**राम केवल**)
विशेष सचिव।

संख्या:42/2019/324(1)/35-3-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जनपद- अमेठी, कन्नौज, प्रयागराज, महराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ एवं मऊ उत्तर प्रदेश।
7- उपमहारजिस्ट्रार, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, प्लाट संख्या-सी0सी0-1,सेक्टर जी, अलीगंज लखनऊ को उनके पत्रांक-डीसीओ-यूपी/02-2011/एनपीआर-459 दिनांक 11 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में।
8- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- उक्त 07 जनपदों के नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वरा निदेशक, स्थानीय निकाय)।
10- निदेशक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राम केवल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-42 /2019/324/35-3-2018-1(33)/2015 टी0सी0, दिनांक 29 मार्च, 2019 का अनुलग्नक

धनराशि (रूपये में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	07- मानदेय	08-कार्यालय व्यय (डाटा कुंजीयन)	योग
1	अमेठी	-	3685659	3685659
2	कन्नौज	-	62028	62028
3	प्रयागराज	284000	2702994	2986994
4	महराजगंज	-	326409	326409
5	कुशीनगर	-	700000	700000
6	आजमगढ़	-	2019088	2019088
7	मऊ	-	1633784	1633784
	कुल योग	**284000**	**11129962**	**11413962**

योग :(रूपये एक करोड चौदह लाख तेरह हजार नौ सौ बासठ मात्र)

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।